रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 95] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सा.का.नि. **129(अ).**—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है ;

(ग) "कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)" से निम्नलिखित अभिप्रेत और शामिल हैं किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:-

(i) अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम; अथवा

(ii) कंपनी की घोषित कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों से

संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम बशर्ते कि ऐसी नीति में अधिनियम की अनुसूची 7 में उल्लिखित विषय सम्मिलित हों।

(घ) "सीएसआर समिति" से अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सीएसआर नीति" कंपनी के कारबार के सामान्य प्रचालन के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलाप और उस पर किए गए व्यय से संबंधित है;

(च) "शुद्ध लाभ" से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी के शुद्ध लाभ अभिप्रेत है किंतु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है अर्थात् :-

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल हैं अथवा इसके अनुबंधों का अनुपालन करती हैं, से प्राप्त कोई लाभांशः

परंतु किसी वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसरण में सुसंगत वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे, के संबंध में 'शुद्ध लाभ' की पुनः गणना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं होगी।

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ-हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं ।

3 कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

(1) प्रत्येक कंपनी अपनी होल्डिंग अथवा अनुषंगी सहित तथा अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के अंतर्गत परिभाषित कोई विदेशी कंपनी जिसका शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय भारत में है और जो अधिनियम की धारा 135 और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी ;

परंतु अधिनियम के अंतर्गत किसी विदेशी कंपनी का शुद्ध मूल्य, व्यापारावर्त अथवा शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 198 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए उस कंपनी के तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार की जाएगी ।

(2) प्रत्येक कंपनी जो क्रमवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी नहीं रहती है, उससे निम्नलिखित अपेक्षित नहीं होगा ;

(क) सीएस आर समिति का गठन करना ;

(ख) उक्त धारा की उप धारा (2) से उप धारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करना ;

जब तक कि वह कंपनी धारा 135 की उप धारा (1) में निहित मानकों को पूरा नहीं करती ।

4. सीएसआर कार्यकलाप:

(1) कंपनी को अपनी कथित कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार अपने व्यवसाय के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यों को छोड़कर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों (नए अथवा चल रहे) के रूप में अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप करने होंगे।

(2) कंपनी का बोर्ड कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलाप किसी रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य किसी तरीके से चला सकता है:

परंतु कि –

(i) यदि ऐसा न्यास, सोसाइटी अथवा कंपनी की स्थापना उस कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा नहीं की गई हो तो इसके पास समान कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं चलाने का तीन वर्षों का प्रमाणित अभिलेख होना चाहिए;

(ii) कंपनी ने इन अस्तित्वों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर धन राशि के उपयोग की कार्य-प्रणाली और निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र विनिर्दिष्ट किया हो।

(3) कोई कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को इस प्रकार चलाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी सहयोग इस रीति में कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग-अलग रिपोर्ट देने की स्थिति में हों।

(4) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन, भारत में चलाई गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलाप ही कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय की कोटि में आएंगे।

(5) अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप नहीं माना जाएगा जिनसे कंपनी के कर्मचारी अथवा उनके कुटुम्बों को ही फायदा हो।

(6) कंपनियां कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में कार्य स्थापित अभिलेख वाली संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्षमताएं बना सकती है किंतु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(7) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान पर सीएसआर कार्यकलाप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

5. सीएसआर समितियां :

(1) नियम 3 में उल्लिखित कंपनियां निम्नानुसार सीएसआर समिति गठित करेंगी:

(i) धारा 135 की उपधारा (1) के अंतर्गत शामिल कोई असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी जिसके लिए अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (4) के अनुसरण में स्वतंत्र् निदेशक की नियुक्ति करना अपेक्षित नहीं है, की ऐसे निदेशक के बिना अपनी सीएसआर समिति होगी;

(ii) उप नियम (1) में उल्लिखित कोई प्राइवेट कंपनी, जिसके बोर्ड में केवल दो निदेशक हों ऐसे दो निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी;

(iii) इन नियमों के अंतर्गत शामिल किसी विदेशी कंपनी के बारे में सीएसआर समिति में कम से कम दो व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति विदेशी कंपनी द्वारा नामनिर्देशित होगा।

(2) सीएसआर समिति कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र संस्थित करेगी।

6. सीएसआर नीति :

(1) कंपनी की सीएसआर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात :-

(क) अधिनियम की अनुसूची 7 के क्षेत्र के भीतर आने वाले उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों, जिन्हें कंपनी शुरू करने की योजना बनाती है, की एक सूची तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित करना तथा उनकी कार्यान्वयन अनुसूचियां; तथा

(ख) ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रियाः

परंतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में कंपनी के कारबार के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यकलाप शामिल नहीं होंगे।

परंतु यह और कि निदेशक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में शामिल कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची 7 में शामिल कार्यकलापों से संबद्ध हैं।

(2) कंपनी की सीएसआर नीति विनिर्दिष्ट करेगी कि सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों से उद्भूत आधिक्य राशि कंपनी के कारबार लाभ का हिस्सा नहीं होगी।

7. सीएसआर व्यय : कोष में बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश पर अनुमोदित सीएसआर कार्यकलापों संबंधी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अंशदान सहित समस्त व्यय सम्मिलित होगा किंतु इसमें किसी ऐसी मद पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं होगा जो अधिनियम की अनुसूची-7 के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यकलापों से संगत अथवा आधार पर न हो ।

8. सीएसआर रिपोर्टिंग

(1) इन नियमों के अधीन होने वाली कंपनी की अप्रैल 1, को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की बोर्ड रिपोर्ट में संलग्नक में निर्दिष्ट ब्यौरों को शामिल करते हुए सीएसआर संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी।

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, धारा 381 की उपधारा 1 के उपखंड ख के अंतर्गत फाइल किए गए तुलन पत्र में सीएसआर संबंधी रिपोर्ट का एक संलग्नक अंतर्विष्ट होगा ।

9. सीएसआर कार्यकलापों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शनः

कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा और ऐसी नीति की विषयवस्तु अपनी रिपोर्ट में प्रकट करेगा तथा उपाबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/18/2013- सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

1. रेखा-संक्षिप्त रूप कंपनी की सीएसआर नीति की, जिसमें शुरू करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैबलिंक का संदर्भ शामिल हो।
2. सीएसआर समिति की संरचना
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ।
4. विहित सीएसआर व्यय में (ऊपर मद 3 में दी राशि का दो प्रतिशत राशि)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे:

   (क) वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:

   (ख) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम:

   (ग) वह रीति जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम के व्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित दिया गया है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. स.	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना/ कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षे.ा या अन्य (2) (उस जिले/ राज्य का नाम जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया)	परिव्यय रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम)	परियोजना/ कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप:शीर्ष : परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय, (1) उपरि व्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण* के माध्यम से
1.							
2.							
3.							
	योग						

*कार्यान्वयनकारी अभिकरण के ब्यौरे दें -

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसका कोई भाग खर्च करने में असफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम खर्च न करने के कारण बताएगी ।

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व परक-कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध् निदेशक अथवा निदेशक)	हस्ताक्षर (अध्यक्ष्, सीएसआर समिति)	हस्ताक्षर अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति (जहां लागू हो)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

G.S.R. 129(E).— In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013;

(b) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;

(c) "Corporate Social Responsibility (CSR)" means and includes but is not limited to :-

(i) Projects or programs relating to activities specified in Schedule VII to the Act; or

(ii) Projects or programs relating to activities undertaken by the board of directors of a company (Board) in pursuance of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy will cover subjects enumerated in Schedule VII of the Act.

(d) "CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in section 135 of the Act.

(e) "CSR Policy" relates to the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII to the Act and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company;

(f) "Net profit" means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely :-

(i) any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise; and

(ii) any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act:

Provided that net profit in respect of a financial year for which the relevant financial statements were prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, (1 of 1956) shall not be required to be re-calculated in accordance with the provisions of the Act:

Provided further that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 381 read with section 198 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Corporate Social Responsibility. -

(1) Every company including its holding or subsidiary, and a foreign company defined under clause (42) of section 2 of the Act having its branch office or project office in India, which fulfills the criteria specified in sub-section (1) of section 135 of the Act shall comply with the provisions of section 135 of the Act and these rules:

Provided that net worth, turnover or net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 381 and section 198 of the Act.

(2) Every company which ceases to be a company covered under sub-section (1) of section 135 of the Act for three consecutive financial years shall not be required to -

(a) constitute a CSR Committee; and

(b) comply with the provisions contained in sub-section (2) to (5) of the said section,

till such time it meets the criteria specified in sub-section (1) of section 135.

4. CSR Activities.-

(1) The CSR activities shall be undertaken by the company, as per its stated CSR Policy, as projects or programs or activities (either new or ongoing), excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business.

(2) The Board of a company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through a registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or otherwise:

Provided that—

(i) if such trust, society or company is not established by the company or its holding or subsidiary or associate company, it shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects;

(ii) the company has specified the project or programs to be undertaken through these entities, the modalities of utilization of funds on such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism.

(3) A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules.

(4) Subject to provisions of sub-section (5) of section 135 of the Act, the CSR projects or programs or activities undertaken in India only shall amount to CSR Expenditure.

(5) The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the Act.

(6) Companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their Implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure shall not exceed five percent. of total CSR expenditure of the company in one financial year.

(7) Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act, shall not be considered as CSR activity.

5. CSR Committees.-

(1) The companies mentioned in the rule 3 shall constitute CSR Committee as under.-

(i) an unlisted public company or a private company covered under sub-section (1) of section 135 which is not required to appoint an independent director pursuant to sub-section (4) of section 149 of the Act, shall have its CSR Committee without such director ;

(ii) a private company having only two directors on its Board shall constitute its CSR Committee with two such directors;

(iii) with respect to a foreign company covered under these rules, the CSR Committee shall comprise of at least two persons of which one person shall be as specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act and another person shall be nominated by the foreign company.

(2) The CSR Committee shall institute a transparent monitoring mechanism for implementation of the CSR projects or programs or activities undertaken by the company.

6. CSR Policy.-

(1) The CSR Policy of the company shall, inter-alia, include the following, namely :-

(a) a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake falling within the purview of the Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules for the same; and

(b) monitoring process of such projects or programs:

Provided that the CSR activities does not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company.

Provided further that the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its Corporate Social Responsibility Policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

(2) The CSR Policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company.

7. CSR Expenditure.- CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus, for projects or programs relating to CSR activities approved by the Board on the recommendation of its CSR Committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with activities which fall within the purview of Schedule VII of the Act.

8. CSR Reporting.-

(1) The Board's Report of a company covered under these rules pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure.

(2) In case of a foreign company, the balance sheet filed under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 381 shall contain an Annexure regarding report on CSR.

9. Display of CSR activities on its website. -

The Board of Directors of the company shall, after taking into account the recommendations of CSR Committee, approve the CSR Policy for the company and disclose contents of such policy in its report and the same shall be displayed on the company's website, if any, as per the particulars specified in the Annexure.

[File No. 1/18/2013-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

ANNEXURE

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.
2. The Composition of the CSR Committee.
3. Average net profit of the company for last three financial years
4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent. of the amount as in item 3 above)
5. Details of CSR spent during the financial year.
   (a) Total amount to be spent for the financial year;
   (b) Amount unspent , if any;
   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S.No	CSR project or activity identified.	Sector in which the Project is covered.	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken.	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs **Sub-heads:** (1) Direct expenditure on projects or programs. (2) Overheads:	Cumul-ative expend-iture upto to the report-ing period.	Amount spent: Direct or through implementing agency
1							
2							
3							
	TOTAL						

*Give details of implementing agency:

6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.
7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Chief Executive Officer or Managing Director or Director)	(Chairman CSR Committee)	(Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act) (wherever applicable)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054